न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर उच्च–स्तरीय समिति रिपोर्ट में निहित अनुशंसाएं

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
1	अध्याय– 12 पैरा– 1.3 पृष्ठ– 221	समिति पुरजोर **सुझाव** देती है कि देश के मुस्लिमों में तुलनात्मक रूप से वंचित रह जाने को सुलझाने के लिए जो नीतियां अपनाई जाएं वो उनके संयुक्त विकास और उनकी विशिष्ट पहचान का सम्मान करते हुए समाज की 'मुख्यधारा से जोड़ने' पर पूर्ण रूप से केंद्रित हों। रहन–सहन, काम और शैक्षणिक हलकों की विविधताओं को समझने की अत्यधिक आवश्यकता है, साथ ही उन कार्यक्रम और सहयोगात्मक नीतियों के द्वारा बनाई गई 'जगहों' में वाकई पिछड़ी सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों का अधिक से अधिक समावेश सुनिश्चित करने की जरूरत है। एक बहुआयामी समाज में समावेश और समानता को सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके, जो समावेश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे होने चाहिए कि विविधता भी बनी रह सके और साथ ही साथ भेद–भाव की धारणा भी खत्म हो जाए। यह तभी संभव है जब विविधताओं से भरे भारतीय सामाजिक परिदृश्य में मुस्लिमों की आवश्यकता और अभिन्न हिस्सेदारी को पूरी पहचान मिले।
2	अध्याय– 12 पैरा– 2.1 पृष्ठ– 222	**2.1 पारदर्शिता, मॉनीटरन और आंकड़ों की उपलब्धता की जरूरत** हम राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक बनाने की सिफारिश करते हैं, जहां विभिन्न सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों से संबंधित सभी आंकड़ों का रख–रखाव किया जा सके। राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक में राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर चलाए जाने वाले विभिन्न लाभकारी कार्यक्रमों का भी भंडार हो और साथ ही इस बात का भी विवरण रखे कि अलग–अलग सामाजिक–धार्मिक श्रेणियां कितनी लाभान्वित हुई। रोजगार, कर्ज की गतिशीलता, कार्यक्रम में भागीदारी आदि का विवरण भी विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियों तथा उपक्रमों को राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक के साथ बांटना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक के पास इतने साधन और अधिकार होने चाहिए कि वो अन्य उपर्युक्त संस्थाओं से आंकड़ों का निर्धारण कर सके और साथ ही केन्द्र और राज्य स्तर पर दोनों प्रकार के सरकार विभागों से जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
3	अध्याय– 12 पैरा– 2.1 पृष्ठ– 222, 223	एक बार यह आंकड़े उपलब्ध हो जाएं (एनडीबी से) तो उनके निर्धारण और मॉनीटरन की कार्यविधि को संस्थागत करने की जरूरत है उससे समयानुकूल नीति के विकल्पों के बारे में सुझाव दिए जा सकें। समिति एक स्वायत्त निर्धारण और मॉनीटरन प्राधिकरण बनाने की संस्तुति करती है जो विभिन्न कार्यक्रमों के विकास के लाभ किस हद तक विभिन्न सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों तक पहुंच सके हैं, उसकी समीक्षा कर सके।
4	अध्याय– 12 पैरा– 2.2 पृष्ठ– 224	**2.1 समान अवसर उपलब्ध कराने के कानूनी आधार को बढ़ावा देना** कानून में एक बहुत मशहूर कहावत है कि सिर्फ न्याय का होना ही जरूरी नहीं है, ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। इसी संदर्भ में समिति यह संस्तुति करती है कि सरकार को समान अवसर आयोग गठित करना चाहिए जो वंचित समूहों की शिकायतों पर गौर करें।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
5	अध्याय– 12 पैरा– 2.3 पृष्ठ– 224, 225	**2.2 सरकार में भागीदारी को बढ़ावा** समिति सिफारिश करती है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तर्ज पर, राज्य स्तर के उपयुक्त कानूनी बनाए जा सकते हैं जो स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर सकें (नवें अध्याय के बॉक्स 9.2 को देखें)। हर प्रदेश को इस विधान के क्रियान्वयन के समय, भाषाई और धार्मिक, दोनों तरह के अल्पसंख्यकों की पहचान करने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार की तरफ से स्थानीय ढांचों में विभिन्नता को बढ़ाने का यह प्रयास जिसे दृष्टिगत रूप से अल्पसंख्यक समाजों की भागीदारी बढ़ेगी, विश्वास और भरोसे का माहौल बनाने में काफी सहायक होगा और विलक्षण परिणाम देगा जिससे भारत को एक प्रबल प्रजातंत्र बनने में मदद मिलेगी।
6	अध्याय– 12 पैरा– 2.3 पृष्ठ– 225	समिति दूसरे अध्याय में वर्णित सीमांकन स्कीमों के अंतर्गत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में विषमता को खत्म करने की संस्तुति करती है। एक अधिक विवेकशील सीमांकन प्रक्रिया अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित न कर, अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों के लिए, भारतीय संसद और विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने और चुने जाने के अवसर को बढ़ा देगी।
7	अध्याय– 12 पैरा– 2.3 पृष्ठ– 225	**2.4 विविधता को प्रोत्साहन देना** विविधता सूचक को कतिपय प्रोत्साहन देने को भी परखना चाहिए। हम मानते हैं कि यह एक जटिल समस्या है पर अगर विविधता को मापने के लिए एक पारदर्शक और सर्वमान्य तरीका विकसित हो पाए, तो इस इन्डेक्स से कई तरह के फायदों को जोड़ा जा सकता है कि जिससे सभी सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों को **शिक्षा, सरकार और निजी रोजगार व गृह निर्माण** का समान अवसर मिलने को सुनिश्ति किया जा सके। विविधता का नियम जो समानता को साथ लेकर चलता है, उसे न सिर्फ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच लागू करना है वरन अल्पसंख्यकों में आपस में भी लागू करना है जिससे की वाकई लाभ से वंचित लोगों को फायदा पहुंच सके और पहुंचना चाहिए। एक सर्वमान्य विविधता इन्डेक्स होने से, नीतियां निम्नलिखित दे सकती हैं : • अधिक अनुदान के रूप में उन शैक्षणिक संस्थाओं को लाभ जिनमें अधिक विविधता है और जो उसे कायम रख पाता है। यह लाभ दोनों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पर लागू हो सकते हैं, चाहे वो सरकारी हों या निजी क्षेत्र की हों। • निजी क्षेत्र को कार्यशक्ति में विविधता को बढ़ावा देने के लिए लाभ, जहां ऐसे कदम कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए कुछ सकारात्मक कार्य इस प्रक्रिया को चालू करने में मददगार हो सकते हैं। • भवन निर्माताओं को ऐसे हाउसिंग कॉम्पलेक्स बनाने के लिए जहां के निवासी जनता में अधिक 'विविधता' हो जिससे कि सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों के 'संयुक्त निवास स्थान' को बढ़ावा मिल सके।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
8	अध्याय– 12 पैरा– 2.3 पृष्ठ– 225, 226	ज्यादातर गरीब बच्चों को पार्क, पुस्तकालय और यहां तक कि अपने ही घर में पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पाती। ऐसी जगहें सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों में मेल–जोल को बढ़ावा दे सकती हैं और शैक्षणिक प्रयासों को प्रोत्साहित भी कर सकती है, जिसकी काफी जरूरत है, ऐसे क्षेत्रों का प्रयोग समाज या जनसभा द्वारा सुधार कक्षाएं, पढ़ने के कमरों और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा सकता है। सरकार को मिली–जुली आबादी वाले स्थानीय इलाकों और आस–पास के इलाकों में ऐसे प्रयासों को **बढ़ावा** देना चाहिए जिससे कि विभिन्न सामाजिक–आर्थिक श्रेणियों के बच्चे आपस में मिल–जुल सकें और साथ ही साथ पढ़ाई भी जारी रख सकें। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के लिए अलग से रखे गए वित्त के कुछ हिस्से का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
9	अध्याय– 12 पैरा– 2.3 पृष्ठ– 226	नवीन कार्यक्रमों के विकास और क्रियान्वयन में और सेवाएं उपलब्ध कराने में विविधता का आदर करने और इसे बनाए रखने के लिए, संबंधित अधिकारियों को विविधता की जरूरत और सामाजिक पृथकीकरण से संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। इन मुद्दों पर सरकार और अन्य अधिकारियों में संवेदना जगाना **आवश्यक** है। विभिन्न विभागीय सदस्यों, विशेष तौर से वो जो नियमित रूप से जनता के संपर्क में आते हैं, में संवेदना जगाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाना वांछित है, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
10	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 226, 227	**3.1 शिक्षा की जरूरत** एक बार विद्यालय की शिक्षा की 'बाधा' पार हो जाए, तो स्नातक स्तर की पढ़ाई में अधिकतर सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों का उसे पूरा करने की संभावना में अंतर, कम हो जाता है और कई बार तो अधिक उल्लेखनीय भी नहीं रह जाता। इसलिए, विद्यालय की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना **वांछित** है। 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना देश की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना मुस्लिमों की शैक्षणिक स्थितियों को सुधारने के लिए जरूरी है, बल्कि सभी सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा, नीचे सूचीबद्ध किए गए कुछ क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना वांछित है।
11	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 227	समिति **अनुशंसा** करती है कि विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों की विषयवस्तु की समीक्षा करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए जिससे कि उनमें से ऐसे विषयावली को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके जो स्पष्ट और निश्चित तौर पर अनुचित सामाजिक आदर्श, खासकर धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है।
12	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 227	दस साल से छोटे बच्चों के समूह में मुस्लिम बच्चों का सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सा है जिसमें से 27 प्रतिशत इस वर्ग में आते हैं जबकि पूरे देश में 23 प्रतिशत बच्चे ही इस वर्ग में आते हैं पर शुरूआती स्तर पर वर्तमान भर्ती और जारी रखने की दर (हालांकि हाल के वर्षों में बढ़ रही है) मुस्लिमों के लिए सबसे कम है। यह तथ्य इस वर्ग के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को विशेष तौर से जरूरी बनाते हैं और यह सुनिश्चित करने की जरूरत को और भी अधिक बल देते हैं कि 0–14 उम्र वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
13	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 227	इसके साथ ही निम्नलिखित कदम भी **वांछित** है – • इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शहरी आबादी में परिवारों का बड़ा हिस्सा एक कमरे के निवास स्थान में रहता है, यह बहुत आवश्यक है कि स्थानीय पढ़ाई केन्द्र बनाए जाएं, जहां विद्यार्थी कुछ घंटे अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकें। यह एक क्षेत्र है जहां सरकार, गैर–सरकारी संस्थाएं और कॉरपोरेट सेक्टर मद्द कर सकते हैं। • सघन मुस्लिम आबादी वाले सभी इलाकों में उंची गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल खोले जाएं। • लड़कियों के अलग विद्यालय खोले जाएं, खास तौर से 9 – 12 कक्षाओं के लिए, इससे स्कूली शिक्षा में मुस्लिम लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। सह–शिक्षा विद्यालयों में अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जरूरत है। संवैधानिक रूप से अपनी मातृ–भाषा में प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धता का विधान है। इस बात की फौरन जरूरत है कि उर्दू भाषा बोलने वाली जनता का उचित नक्शा बनाया जाए और जिन इलाकों में उर्दू बोलने वाली आबादी की सघनता है, वहां प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में कराई जाए। एक बार फिर जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के वित्तों का उपयोग इन उद्देश्यों के लिए करने के बारे में सोचा जा सकता है।
14	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 228	समिति अनुशंसा करती है कि : • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए दाखिले से पहले की योग्यता 8वीं कक्षा तक घटा देनी चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पाठ्यक्रमों के कार्यक्षेत्र को बाजार की उभरती जरूरतों, जिनमें खुदरा क्षेत्र भी शामिल है, के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और पॉलीटेकनीक द्वारा उठाए गए विशिष्ट कौशल के विकास के कदमों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां उन्नति की संभावना ज्यादा है और उनमें मुस्लिम आबादी की सघनता है। इन प्रशिक्षण के प्रयास को उन इलाकों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां अल्पसंख्यक समाज की सघनता है। • ऐसे कार्यक्रमों के लिए योग्यता को मदरसा में पढ़े बच्चों को भी शामिल करने के लिए विस्तृत कर देना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों में काफी सारे वर्तमान औपचारिक तकनीकी शिक्षा की शाखाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपात्र होते है।
15	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 228	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के लिए **प्रोत्साहित** करना होगा जहां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले आवंटन का हिस्सा विद्यार्थी की जनसंख्या में विविधता से जुड़ा हो। यहां तक कि निजी कॉलेजों में भी, जिनमें वो संस्थान भी शामिल हैं, जो अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जाते हैं और जो विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं या प्रादेशिक निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त हैं, को भी अतिरिक्त राशि दी जा सकती है अगर उनमें विविध विद्यार्थी जनसंख्या है और वो यथोचित शुल्क लेते हैं।
16	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 229	सभी सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों में 'सबसे पिछड़े' वर्ग का नियमित विश्वविद्यालयों और स्वायत कॉलेजों में दाखिले को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक प्रवेश प्रक्रिया को विकसित करने की जरूरत है।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
17	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 229, 230	अल्पसंख्यकों में से विद्यार्थियों को छात्रवास की सुविधाएं यथोचित कीमत पर प्राथमिकता के आधार पर दिया जानी चाहिए। यहां सभी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जानी चाहिए तथा छोटे–बड़े सभी शहरों में लड़कियों को ऐसी सुविधाएं विशेष तौर पर **वांछित** है। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि पिछड़ी सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों के लिए तालुका मुख्यालयों में छात्रावास बनाए जहां गरीब अल्पसंख्यक और अन्य बच्चे रह सकें और स्थानीय विद्यालयों में पढ़ सकें। इन दोनों ही कदमों के लिए केन्द्र के द्वारा शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए अलग रखी गई विशेष राशि में से आवंटन किए जा सकते हैं। एक बार फिर से, समूह–विशेष की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। मुस्लिम वक्फों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपनी संपत्ति को वो इस प्रयास के लिए इस्तेमाल करें। साथ ही, गैर–सरकारी संस्थानों और बहुद्देशीय संस्थाओं द्वारा दिए गए दान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
18	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 230	पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षक के लिए प्रशिक्षण को बाध्यकारी रूप से शामिल करना चाहिए, जो देश में विविधता/बहुआयाम की आवश्यकता का प्रचार कर सके और मुस्लिमों तथा अन्य दरकिनार किए गए वर्गों की जरूरतों और इच्छाओं के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बना सके। इसके क्रियान्वयन का मॉनीटर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा किया जाना चाहिए।
19	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 230	दूसरा मुद्दा है विद्यालयों में मुस्लिम अध्यापकों की कमी, खासतौर से महिलाओं की। वर्तमान शिक्षा के स्तर को देखते हुए, अधिक मुस्लिमों में बी. एड के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के आसार सीमित हैं। मगर सहायक शिक्षकों के रूप में अधिक मुस्लिम भागीदारी कर सकते हैं। मध्यवर्ती कदम के रूप में इस व्यवस्था में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाने का **प्रयास** करना चाहिए।
20	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 230	बहुत कम ही शिक्षक हैं जो उर्दू माध्यम से पढ़ा सकते हैं। इस जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृ भाषा में ही मिले, सरकार को उर्दू माध्यम से विद्यालय चलाने की जरूरत है। इससे उन शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी जो उर्दू माध्यम से पढ़ा सकें। इसलिए उन राज्यों में जहां उर्दू भाषा बोलने वाली काफी आबादी है, सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में उन शिक्षकों को वरीयता मिलना **वांछित** है जो उर्दू माध्यम से पढ़ा सकें।
21	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 230	इसके साथ, तीन और उपाय भी वांछित हैं : • प्रायः उर्दू विद्यालय में ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्हें उूर्द के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, यह समस्या आंशिक रूप से इस तथ्य से भी बढ़ जाती है कि उर्दू अध्यापकों के पदों को अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है और ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। इस अनियमितता को तुरंत सुधारने की जरूरत है। • देश के उन हिस्सों में उच्च गुणवत्ता वाले उर्दू माध्यम के विद्यालय खोले जा सकते हैं, जहां उनकी मांग है। परंतु, इस बात को भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उर्दू माध्यम की उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हों और ऐसे विद्यालयों से निकले छात्र रोजगार करने लायक हों। • उन प्रदेशों में जहां उर्दू–भाषीय आबादी ज्यादा है, सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में उर्दू को एक वैकल्पिक विषय का दर्जा दिया जाना चाहिए।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
22	अध्याय– 12 पैरा– 3.1 पृष्ठ– 230, 231	मदरसों को नियमित विद्यालय के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि सहायक के रूप में देखना चाहिए। निम्नलिखित उपाय **वांछित** हैं : • ऐसे उपाय खोजने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि मदरसों को उच्च स्तर के शैक्षणिक बोर्ड से जोड़ा जा सके, ताकि मदरसे में पढ़े छात्र चाहें तो वहां से निकल कर नियमित मुख्य धारा की शिक्षा में आ सकें। • मदरसे के सर्टीफिकेट डिग्रियों को 'बराबरी' का दर्जा देने की व्यवस्था की जाए जिससे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला मिल सके। इतना लचीलापन होना चाहिए कि मदरसे के स्नातक, अगर चाहें तो इन संस्थाओं से पढ़ने के बाद नियमित मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकें। दूसरे शब्दों में, उन्हें अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, खासतौर से उन पाठ्यक्रमों में जहां दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। • मदरसों की डिग्रियों की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि सिविल सेनाओं, बैंकों, सुरक्षा सेवाओं और ऐसी ही अन्य परीक्षाओं के लिए योग्यता के रूप में मान्यता देना। विचार यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा मिले जहां मदरसे के स्नातकों के पास भी विकल्प हों और रोजगार की धाराओं में भागीदारी करने का लाभ हो। पर यह सब इन प्रतियोगी परीक्षाओं के वर्तमान स्वरूप के अंदर ही रहना चाहिए। • नब्बे के दशक में सरकार ने मदरसों के नवीनीकरण के लिए एक योजना बनाई थी। यह सही दिशा में एक कदम था पर इसकी उपयोगिता आंशिक रूप से इसलिए खत्म हो गई कि इसमें कुछ कमियां थीं जैसे कि विषयों का चयन, अध्यापकों की गुणवत्ता, नवीन विषयों को एक ऐसी समय सारिणी में जगह देना जिनमें पारंपरिक विषयों की भरमार थी। सरकार को यह नेक सलाह दी जाती है कि इस योजना की समीक्षा की जाए और उसे बेहतर बनाया जाए, तो उसके बाद ही उसके विस्तार के बारे में सोचा जाए।
23	अध्याय– 12 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 231	**3.2 कर्ज और सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाना** निम्नलिखित अनुशंसा की जा सकती है – समिति को कई ऐसी शिकायतें मिली, जिनमें बैंकों के कामकाज में सघन मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को उपेक्षित किया जाता है। इस धारणा को कम से कम आंशिक रूप से दूर करने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अपनाई गई नीति परएक सरल विनियमन वांछित है। सारे बैंकों को किसी को भी यह जानकारी देना जरूरी कर दिया जाय जो जानना चाहता हो कि किन इलाकों में कर्ज बांटा गया। अगर व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी बांटने में खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, तो यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को दी जा सकती है, जो सूचना के अधिकार कानून के तहत यह जानकारी किसी को दे सकते हैं। ग्राहकों की सामाजिक–धार्मिक श्रेणी और पृष्ठ भूमि के बारे में भी बैंकों को जानकारी रखना और भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध करानी चाहिए। व्यक्तिगत लेखा–जोखा के बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है, पर विभिन्न सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से मोटे तौर पर जानकारी उपलब्ध कराना काफी है।
24	अध्याय– 12 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 231	समिति प्राथमिकता के तौर पर मुस्लिमों को अग्रिम कर्ज देने और इस चलन को बढ़ाने की **अनुशंसा** करती है। अल्पसंख्यक आधारित कार्यक्रमों में लक्षित राशि तक पहुंचने में जो कमियां रह जाएं उस राशि को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और अन्य विशेष कार्यक्रमों के द्वारा उपयोग में लाया जाए।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
25	अध्याय– 12 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 232	भारतीय जनगणना 2001 के परिणामों का विश्लेषण यह संकेत देता है कि एक गांव/इलाके में मुस्लिम आबादी से बैंकिंग सुविधाएं विलोमानुपात में हैं। इस मुद्दे पर प्राथमिकता के तौर पर ध्यान देना चाहिए और बैंकों को सघन मुस्लिम आबादी वालों क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने के लिए विशेष लाभ दिए जाने चाहिए।
26	अध्याय– 12 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 232	समिति यह भी **अनुशंसा** करती है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों को और विस्तृत बनाया जाए जिसमें अधिक योजनाएं हों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि द्वारा भी कर्ज दिया जाना शामिल हो। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अधीन अल्पसंख्यकों के प्रशिक्षण के लिए धनराशि अलग से रानी चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों से न सिर्फ पारंपरिक रोजगारों से संबंधित कारीगारों के कौशल को प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए, अपितु वैश्वीकरण के इस दौर में मुकाबले के लिए उन्हें आधुनिक कौशल से लैस भी किया जाना चाहिए। इन रोजगार समूहों में मुस्लिमों की बड़ी संख्या की मौजूदगी के कारण उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
27	अध्याय– 12 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 232	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अल्प कर्ज में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक **नीति** बनाई जानी चाहिए। इस नीति के तहत यह बताया जाना चाहिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के सहायता कार्यक्रम चलाए जाएं और गांवों में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी के हिसाब से किस प्रकार की लाभ योजना और लक्ष्य रखे जाएं कि अल्प कर्ज में मुस्लिमों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। किसी भी हालत में ऐसी योजनाओं में विभिन्न सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों की भागीदारी के आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक को सौंपे जाने चाहिए। ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन विशेष परिस्थितियों के हिसाब से करने की जरूरत है।
28	अध्याय– 12 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 232	सरकारी नौकरियों और अन्य कार्यक्रमों के विस्तृत विशलेषण में मुस्लिम भागीदारी बहुत कम पाई गई है। यहां भेदभाव के आरोप–प्रत्यारोप की बात नहीं, पर इस बात की आवश्यकता है कि बोर्ड या पैनल के साक्षात्कर कार्यक्रम में समुदाय से जुड़े विशेषज्ञों की सहभागिता हो। अनुसूचित जाति, जनजाति के मामले में यह व्यवस्था पहले से प्रचलन में है।
	अध्याय– 12 पैरा– 3.3 पृष्ठ– 234	एक अधिक पारदर्शी भर्ती पद्धति कार्यप्रणाली में जनता का भरोसा बढ़ाने में मदद करेगी। यहां यह सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि चुनाव–समितियों में अल्पसंख्यकों को शामिल किए जाने से मुस्लिमों को चुने जाने के अवसर बढ़ेंगे, पर इससे मुस्लिम आवेदकों का प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा।
29	अध्याय– 12 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 233	वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो जिले आते हैं, उनकी समीक्षा करने की जरूरत है। समिति यह **अनुशंसा** करती है कि जिन 58 जिलों में मुस्लिम आबादी 25 फीसदी से ज्यादा है, उन्हें 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इन जिलों के विकास के लिए एक विशेष सहायता पैकेज की धोषणा की जाए। यही सिद्धान्त सघन मुस्लिम आबादी वाले तालुका/ब्लॉक स्तर पर भी लागू किया जा सकता है।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
30	अध्याय– 12 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 233	सभी क्रियाकलापों में अल्पसंख्यकों से जुड़ी जानकारी की सूचना देने में पारदर्शिता बरती जाए। हर तीन महीने में एक निश्चित प्रारूप में जानकारी प्रकाशित/उपलब्ध कराना आवश्यक होना चाहिए तथा इसे राज्य सरकार और विभागों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करना चाहिए। राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर आवेदन के क्रियान्वयन या खारिज होने में लगने वाली देरी/कमी के बारे में सूचना देने का प्रावधान भी होना चाहिए। आवेदक के अपने आवेदन पत्र की सूचना की जानकारी का पूरा अधिकार होना चाहिए ताकि अत्यधिक पारदर्शिता बनी रही।
31	अध्याय– 12 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 233	सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा यह संकेत देती है कि मुसलमानों को उनसे अधिक लाभ नहीं हुआ है। कहीं–कहीं तो मुस्लिमों की लाभान्वितों के रूप में पर्याप्त भागीदारी ही नहीं है, और जहां भागीदारी पर्याप्त है, वहां कार्यक्रम की आवंटित राशि इतनी कम है कि उसका सार्थक असर ही नहीं हुआ है। आंकड़ों के मौजूदा प्रारूप में विभिन्न सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों की भागीदारी के बारे में राज्य और केन्द्रीय स्तर पर नियमित रूप से विस्तृत आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए। जैसा कि पहले भी **सुझाव** दिया गया है इन आंकड़ों को राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो उन्हें संभालकर रखेगा और जिन्हें जरूरत है, उपलब्ध करा सकेगा।
32	अध्याय– 12 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 233	अंत में जहां अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए बहुत सारी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजना कार्यक्रम बनाए गए हैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं बहुत कम हैं। जो योजनाएं हैं, उनमें भी पर्याप्त राशि का अभाव है। वस्तुतः उन पिछड़े जिलों, समूहों को लक्ष्य बनाना, जहां विशेष कारीगरों के समूह हैं, पहुंच और लाभ में अंतर को काफी कम करेगा। केन्द्र सरकार को अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए बड़े पैमाने पर कुछ योजनाएं **शुरू करनी चाहिए,** जिनमें मुस्लिमों के लिए समानान्तर प्रावधान हों।
33	अध्याय– 12 पैरा– 3.3 पृष्ठ– 234	**3.3 रोजगार के अवसर और स्थितियों को सुधारना** जिन रोजगारों से मुस्लिम अधिक जुड़े हैं और विकास की क्षमता है, उन्हें जुड़ी वित्तीय एवं अन्य सहायता दी जानी चाहिए। ये कदम ऐसी सहायक योजनाओं के रूप में हो सकते हैं, जहां कामगारों को उनके मौजूदा कौशल की आधुनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं, नवीन तकनीक और बाजार की उभरती जरूरतों के साथ संबद्ध किया जाए।
34	अध्याय– 12 पैरा– 3.3 पृष्ठ– 234	यद्यपि उपरोक्त कदम उन क्षेत्रों/समूहों में भी उठाए जा सकते हैं, जहां मुस्लिम आबादी की सघनता हो तथापि कुछ और समूह/इलाके के लिए विशेष कदम भी वांछित हैं। चूंकि ऐसे समूहों में कुशलता नवीनीकरण की जरूरतें बहुत अधिक हो सकती हैं, अतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेकनिक और दूसरी संस्थाएं, जो गैर दसवीं पास लोगों को कुशलता का प्रशिक्षण दे सके, उनकी स्थापना की भी जरूरत है। पास में ही ऐसे संस्थानों की उपलब्धता सिर्फ उन कामगारों के लिए ही सहायक नहीं होगी, जो विकासोन्मुख उद्योगों से जुड़े हैं, वरन उनकी भी मदद करेगी जो नए कौशल सीखकर आधुनिक क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हैं।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
35	अध्याय– 12 पैरा– 3.3 पृष्ठ– 234	अनौपचारिक क्षेत्र के स्वरोजगार से जुड़े व्यक्तियों खासकर घरेलू उद्योग के कामगारों की बुरी स्थितियों को देखते हुए ऐसे लोगो के लिए **जरूरी** सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जरूरत है। अनौपचारिक क्षेत्र में नैमितिक कामगारों को भी ऐसी योजनाओं में शामिल करना चाहिए। चूंकि सरकार पहले से ही ऐसी योजनाओं के बारे मे सोच रही है, इसका जल्दी क्रियान्वयन मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ पहुंचाएगा और साथ ही इस क्षेत्र की कार्यशक्ति के और भी बड़े हिस्से की मद्द करेगा।
36	अध्याय– 12 पैरा– 3.3 पृष्ठ– 234	यह बहुत **जरूरी** है कि मुस्लिमों के रोजगार के हिस्से को बढ़ाया जाए, खासकर उन संदर्भों में जहां जनता से अधिक संपर्क होता हो। उनकी सार्वजनिक उपस्थिति मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से में विश्वास और खुद को शामिल समझने का अहसास बढ़ाएगी। इससे उन्हें इन सुविधाओं को ज्यादा संख्या और बड़े भाग से उपयोग करने में मद्द मिलेगी। इसके लिए शिक्षकों स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, बैंक कर्मचारी और अन्य के रूप में मुस्लिमों के रोजगार की भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, कि वे अपने संस्थान को 'समान अवसर' के संस्थान के रूप में परिभाषित करें ताकि सभी धर्म और समुदाय के आवेदक वहां नियुक्ति के लिए आवेदन करें। इस दिशा में समयबद्ध प्रयास वांछित है।
37	अध्याय– 12 पैरा– 3.3 पृष्ठ– 234	जैसा हमारे आंकड़े बताते हैं, जब मुस्लिम निर्धारित परीक्षाओं व साक्षात्कार में शामिल होते हैं, उनकी सफलता की दर उल्लेखनीय है। ये दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की नौकरियों पर लागू होते हैं। कुछ सामान्य कदम जैसे कि उन इलाकों/जिलों में जहां मुस्लिमों की आबादी का अनुपात अधिक है। वहां दृष्टिगत भर्ती पद्धति अपनाए। उर्दू और स्थानीय समाचार पत्रों व अन्य मीडिया में नौकरियों के विज्ञापन या सामान्य संदेश जैसे कि महिलाएं, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित किये जाने से विश्वास और उम्मीद का माहौल बनेगा। इसी प्रकार केवल भेदभाव की भावना मिटाने बल्कि विश्वास को जगाने के लिए भी मुस्लिम की सघन आबादी वाले थाना क्षेत्रों में कम से कम मुसलमान अधिकारी, ऐसे क्षेत्रों में मुस्लिम स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालयों में कुछ मुसलमान शिक्षक आदि का होना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
38	अध्याय– 12 पैरा– 3.4 पृष्ठ– 234, 235	**3.4 अवसंरचना प्रावधान की निपुणता को बढ़ाना** संरचना की अपर्याप्त उपलब्धता एक ऐसी समस्याओं में से है जो मुस्लिम देश के सभी गरीब, विशेष तौर से वंचित सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों के साथ झेलते हैं। सेवा–दाताओं को मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने में कई कारणों से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो समुदाय से जुड़े मुद्दों को ना समझ पाने से लेकर संस्था में मुस्लिमों की उपस्थिति का ना होना और समुदाय में उनके प्रति अविश्वास की धारणा होना, हो सकता है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि बहुत सी परिस्थितियों में सेवा दाताओं में अनुवांशिक भेद–भाव की भावना होती है और उसे सुधारने के लिए, निम्नलिखित उपायों का **सुझाव** दिया जा रहा है : • सेवा से संबंधित विभागीय सदस्यों को सामाजिक पृथकीकरण के मुद्दों पर संवेदनशील बनाने की बात हम पहले भी कर चुके हैं और इन समस्याओं को कम करने में काफी सहायक हो सकते है। • विश्वसनीय गैर–सरकारी संस्थाओं, जिनके पास जरूरी दक्षता है, मुस्लिम समुदाय में काफी कम और दूरी पर हैं। पर बहुतों को अपनी संस्थाएं दर्ज कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले प्रयास/ट्रस्ट जैसे कि वक्फ संस्थान और मस्जिद समितियों को भी रजिस्टर्ड कराने में सहायक की जानी चाहिए। यह संस्थान, समुदाय के करीब होने से सरकार द्वारा घोषित नीतिगत कार्यक्रमों और मुस्लिम समुदाय में उससे लाभान्वित सदस्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। साथ ही, मुस्लिम समुदाय के मध्य भी जन कल्याण सभाओं को शुरू किए जाने को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। पर एक बार फिर इन संस्थाओं की पहुंच बहुत ही सीमित होगी और आवश्यक स्वास्थ्य और दूसरी संरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने की सरकार की जिम्मेदारी सभी गरीब लोगों जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, की मुख्य उम्मीद है।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
39	अध्याय– 12 पैरा– 3.4 पृष्ठ– 235	इसलिए सरकार को यह नेक सलाह दी जाती है कि वो सभी गांवों/कस्बों/रहने की जगहों में मुलभूत सुविधाओं, अच्छी गुणवत्ता वाले सरकारी विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं, आने–जाने के लिए पक्की सड़कें और जीवन स्तर में सामान्य सुधार, साफ पीने का पानी और सफाई की व्यवस्था कराए। यह पूरे भारत के लिए अच्छा होगा, ना कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए।
40	अध्याय– 12 पैरा– 3.5 पृष्ठ– 235	**3.5 समुदाय के प्रयासों को प्रोत्साहन देना** ऊपर बताए गए बहुत से सुझाव ज्यादा कारगर साबित होंगे अगर उसमें समुदाय भागीदारी करे। सच तो यह है कि सरकार, समुदाय और निजी क्षेत्र की साझेदारी, मुस्लिमों द्वारा झेली जा रही पेरशानियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस संदर्भ में, वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल साझेदारी का **अवसर** दे सकता है।
41	अध्याय– 2 पैरा– 4.1 पृष्ठ– 18	कई राज्यों में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने में विरोध करना गंभीर चिंतन का विषय है क्योंकि वे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने में गंभीर कठिनाई का सामना करते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का स्पष्ट उल्लंघन भी है। कई लोगों का आरोप था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शुरू करने में काफी मुश्किलें आती हैं।
42	अध्याय– 2 पैरा– 4.2 पृष्ठ– 20	सरकारी अल्प वित्तीय कार्यक्रम जैसे स्वयं सहायता समूह (एचएचजी) जल विभाग के कार्यक्रम और पंचायती राज में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इसमें उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास करने जरूरी हैं।
43	अध्याय– 2 पैरा– 5 पृष्ठ– 24	यह प्रयास किया जाना चाहिए कि मुस्लिमों द्वारा समझी जाने वाली भाषा अर्थात उर्दू भाषा में मीडिया के माध्यम से तथा परामर्शन केन्द्रों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सूचना उपलब्ध कराई जाए कि योजनाएं उनके लिए है और वे योजनाओं का लाभ उठा सकें।
44	अध्याय– 3 पैरा– 8 पृष्ठ– 43	आम धारणा के मुस्लिमों में प्रजनन विनियमन तथा आधुनिक गर्भनिरोध की पर्याप्त मांग है। इसलिए दंपतियों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम की जरूरत है।
45	अध्याय– 4 पैरा– 1 पृष्ठ– 45–46	मुसलमानों को दुगनी हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उनमें शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता दोनों ही निम्न हैं; बल्कि, जैसे–जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, उनकी कमी कई गुना गढ़ जाती हैं। कुछ उदाहरणों में तो मुसलमानों का तुलनात्मक हिस्सा अनुसूचित जाति से भी कम है जो कि वर्षों पुरानी जातीय प्रथा का शिकार हैं। इस तुलनात्मक कमी की समस्या को सुलझाने के लिए, उसके सुधार के लिए तरीके सोचने में और संसाधनों के आवंटन के लिए नीति में काफी बदलाव किए जाने की जरूरत है।
46	अध्याय– 4 पैरा– 7 पृष्ठ– 69	समय के साथ–साथ होते विश्लेषण से यह सूझाव प्राप्त होता है कि जहां मुस्लिम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दोनों ही गैर–लाभान्वित रहे हैं, वहीं उच्चतर शिक्षा के लिए पात्र आबादी की संख्या मुसलमानों की अपेक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में अधिक तेजी से बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति के तह तक जाने की जरूरत है।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
47	अध्याय– 4 पैरा– 8 पृष्ठ– 72	मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना का नए सिरे से मूल्यांकन अपेक्षित है जिसके फलस्वरूप इस योजना के स्वरूप में बदलाव आएगा।
48	अध्याय– 4 पैरा– 10 पृष्ठ– 77	अन्य सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुस्लिमों में शिक्षा की तुलनात्मक रूप से कमी को खत्म करने के लिए सरकार को अपनी नीति में काफी बदलाव करने पड़ेंगे तथा निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों में प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है।
49	अध्याय– 5 पैरा– 6.1 पृष्ठ– 92	अतः समग्र रूप से निर्माण क्षेत्रों में जैसे – कपड़ा उद्योग, वाहन मरम्मत और विद्युत मशीनरी के निर्माण से संबंधित क्षेत्र, जो मुस्लिमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उनमें मुस्लिम कामगारों के हितों से संबंधित व्यापक स्तर पर रोजगार संबंधी नियमों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
50	अध्याय– 5 पैरा– 6.1 पृष्ठ– 93	मुस्लिम कामगारों की संख्या जहां अधिक है, उन क्षेत्रों के गहन अध्ययन वांछनीय है। उन क्षेत्रों से संबंधित नीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां मुस्लिम कामगार हैं। साथ ही ऐसी नीतियों पर ध्यान देना भी आवश्यक है, जिनसे इन्हें निम्न विकास वाले क्षेत्रों से विकास वाले क्षेत्रों में लाया जा सके।
51	अध्याय– 6 पैरा– 5 पृष्ठ– 125	मुसलमानों को सीधे तौर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। प्रचार एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से और बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में उपलब्ध जानकारियों को उजागर करने में पारदर्शिता से विभिन्न ऋण योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीबी वाले इलाकों में रहने वाले समुदायों को मदद करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है– माइक्रो क्रेडिट प्रदान करना, खासकर महिलाओं को।
52	अध्याय– 8 पैरा– 3.4 पृष्ठ– 149	इस प्रकार गरीबी में कमी से शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति का रूझान भी अनोखा है। गरीबी के स्तर में मामूली गिरावट के साथ ही शहरों में निवास करने वाले मुसलमानों की स्थिति खतरनाक है जबकि ग्रामीण इलाकों के मुस्लिमों के लिए असाधारण आर्थिक अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और गरीबी में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की जा रही है। इस तरह के रूझान का सही तरह से विश्लेषण किये जाने की जरूरत है।
53	अध्याय– 9 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 170, 171	**मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान इन योजनाओं के लिए एकत्र राशि का ब्याज इतना कम है कि शैक्षणिक स्तर पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है। ब्याज में कमी ने भी फाउंडेशन की वित्तीय क्षमता को कम किया है। वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक फाउंडेशन ने सिर्फ 27 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया। प्रभावकारी क्षमता के लिए इस राशि को 1000 करोड़ रूपये तक बढ़ाने की जरूरत है।
54	अध्याय– 9 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 171	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अल्पसंख्यक प्रकोष्ट की तरफ से समिति को दिए गए आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत 4694 मदरसों को सहायता दी गयी है। अप्रैल 2002 से मार्च 2006 के बीच पिछले चार साल के दौरान कुल 106 करोड़ रूपए दिए गए हैं, जिसमें से 79 करोड़ रूपए ढांचागत विकास के लिए और 27 करोड़ रूपये मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मुहैया कराए गए हैं, लेकिन इस राशि को और बढ़ाए जाने की जरूरत है।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
55	अध्याय– 9 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 173	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवम वित्त निगम से ऋण लेने के रास्ते में राज्य सरकार बड़ी बाधा है। अपनी तंग आर्थिक स्थिति की वजह से राज्य सरकारों की गारंटी ऋण की तरफ अनिच्छा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सिफारिशों के आधार पर लाभान्वितों का निर्धारण होने से ऋण का वितरण ऐसे परिवारों को किया जाता हैं जो डी बी एल परिवार नहीं हैं। ऋण देने में लिया गया समय भी मानक समय से ज्यादा है। कई मामलों में तो ये बेहद धीमी प्रक्रिया में और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के पास धन की उपलब्धता पर आधारित होता है। सुक्ष्म वित्त व्यवस्था के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों से ऋण की मांग काफी अधिक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में राशि की उपलब्धता बढ़ाने के साथ–साथ इस लक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा नियमित करने की भी जरूरत है।
56	अध्याय– 10 पैरा– 4 पृष्ठ–183	समाजिक सोपान के सबसे निचले स्तर पर मौजूद होने से अरजल सबसे बुरी हालत में थे और उन्हें अलग से देखने का जरूरत थी। यह ज्यादा उचित होता कि उन्हें अनुसूचित जाति का सूची में सम्मिलित कर लिया जाता या कम से कम अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) की अलग श्रेणी के रूप में ओ बी सी से अलग किया जाता।
57	अध्याय– 10 पैरा– 7 पृष्ठ–199	इसलिए समिति का विचार है, कि दशकीय जनगणना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जातिओं/समुदायों की गणना, ओ बी सी श्रेणी में सम्मिलित समूहों में लाभ के समान वितरण को आंकने में महत्वपूर्ण होगी।
58	अध्याय– 10 पैरा– 7 पृष्ठ–200	तीनों समूहों (अशरफ, अजलाफ व अरजल) के लिए विभिन्न प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। द्वितीय समूह अजलाफ/ओ बी सी, जो हिन्दू– ओ बी सी के समान हैं, पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरे समूह का जिनका पारंपरिक व्यवसाय, एस सी के सामन है, को अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (एम बी सी) के रूप में संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि इन्हे आरक्षण देने सहित कई प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि ये 'अत्याधिक पीड़ित हैं।'
59	अध्याय– 11 पैरा– 3.2 पृष्ठ– 211	उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से आदेश जारी किए गए जो कि वक्फ बोर्ड से संबंधित न्यायिक आदेशों की अवहेलना करते है। यह समुदाय के पास यू पी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के आदेशों की अवहेलना करने का सबसे ताजा उदाहरण है। ऐसी कार्रवाई वक्फ अधिनियम के अधिकार से परे हैं। वक्फ अधिनियम, 1995 में ऐसे संशोधन भी किए जा सकते हैं, जिससे इस तरह के व्यवधान को रोका जा सके।
60	अध्याय– 11 पैरा– 4.1 पृष्ठ– 214	यह जरूरी लगता है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर ही वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए एक तकनीकी परामर्शी निकाय उपलब्ध कराया जाए। इस निकाय में राज्य वक्फ बोर्ड, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि से अपने–अपने क्षेत्र में दक्ष लोगों और अन्य विभागों जैसे कि समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, वित्तीय और कानूनी दक्षता प्राप्त प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय। संबंधित सरकारी विभाग के एक प्रतिनिधि को भी इस निकाय का हिस्सा होना चाहिए।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
61	अध्याय– 11 पैरा– 4.1 पृष्ठ– 214	**महिला प्रतिनिधित्वः** यह बहुत जरूरी है कि केन्द्रीय वक्फ परिषद और प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में कम–से–कम दो महिलाएं हों। इससे न सिर्फ लैंगिक समानता बढ़ेगी, बल्कि महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी कदमों तक सीधी पहुंच भी बढ़ेगी।
62	अध्याय– 11 पैरा– 4.1 पृष्ठ– 214, 215	**केन्द्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) की बनावट :** यह प्रस्ताव है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे कि रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जजों, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों और उपकुलपतियों और प्रादेशिक वक्फ बोर्डों के पूर्व मुखियाओं में से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। अध्यक्ष 3 साल की अवधि तक पद पर बना रह सकता है। केन्द्रीय वक्फ परिषद के दूसरे सदस्यों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान मुस्लिमों की सूची से नामांकित किया जा सकता है। जैसे कि वास्तुविद, चिकित्सक, वकील, चार्टड एकाउन्टेंट अकादमीशियन में से नामांकित किया जा सकता है। वर्तमान में संसदीय और विधानसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व को जोड़कर देखा जा सकता है और हर राज्य वक्फ बोर्ड में उनकी कुल संख्या 4 से घटा कर 2 की जा सकती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद का सचिव एक ऐसा उच्चपदीय अधिकारी होना चाहिए जो भारत सरकार में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के पद पर काम कर चुका हो जिससे कि सरकारी विभागों के पास प्रभावी और सार्थक बात–चीत हो सके। इसके प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए इस अधिकारी को वक्फ के मामलात की और मुस्लिम धार्मिक पुस्तकों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उर्दू में भी महारत हासिल होनी चाहिए।
63	अध्याय– 11 पैरा– 4.1 पृष्ठ– 215	**राज्य वक्फ बोर्ड :** राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को उस राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची में से चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जज, पूर्व उप कुलपति और जिन्होंने नामी मुस्लिम शेक्षणिक संस्थाएं स्थापित की हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड में नियुक्त किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के दूसरे सदस्यों के साथ अलग–अलग व्यवसायों से जुड़े, मुस्लिम लोगों वास्तुविद, चिकित्सक, वकील, चार्टड एकाउन्टेंट और विद्वानों आदि की सूची से नामांकित किया जाना चाहिए। संसदीय और विधान सभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व को फिलहाल जोड़ कर रखा जा सकता है और हर वक्फ बोर्ड में उनकी कुल संख्या चार से घटा कर दो की जा सकती है। अधिनियम, राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने के लिए किसी योग्यता का उल्लेख नहीं करता। ऐसा पाया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार के उच्च पद पर आसीन नहीं होते या वक्फ के हितों का ध्यान नहीं रखते जिसमें वक्फ बोर्ड का कामकाज प्रभावित होता है। इसलिए जरूरी है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्णकालिक हो और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के रेंक का हो। आदर्श रूप से सम्पूर्ण भारत या केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित प्रथम श्रेणी के अधिकारी को ही, जिसे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाना चाहिए।
64	अध्याय– 11 पैरा– 4.1 पृष्ठ–215	**वक्फ के लिए समूह–क अधिकारी :** इस बात का जोरदार सुझाव दिया जाता है कि राज्य वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद के काम काज को चलाने के लिए अधिकारियों के संवर्ग की जरूरत है, इसके लिए 200 समूह–क के अधिकारियों की आवश्यकता का अनुमान है, जिससे सम्पूर्ण भारत में वक्फ का काम–काज ठीक से किए जा सकें। इसके लिए सरकार को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अधिकारियों की एक नई श्रेणी को नियुक्त करना चाहिए जिससे कि वे वक्फ के काम–काज को दक्षता से चला सकें। पर ऐसे अधिकारियों को इस्लामी कानून और उर्दू का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वक्फ से संबंधित अधिकतर कागजात इसी भाषा में होते हैं। इस श्रेणी के कुछ अधिकारियों को केन्द्रीय वक्फ समिति की सहमति से केन्द्रीय और राज्य हज समितियों को प्रशासनिक सहायता देने के लिए कहा जा सकता है।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
65	अध्याय– 11 पैरा– 4.1 पृष्ठ– 215	**लेखों का रख–रखना :** यह अनुशंसा की जाती है कि सभी वक्फों को 'वित्तीय लेखापरीक्षा' की योजना के अंतर्गत लाना जरूरी होना चाहिए।
66	अध्याय– 11 पैरा– 4.1 पृष्ठ– 215	**राष्ट्रीय एवं राज्य वक्फ विकास निगम :** केन्द्र सरकार के अंतर्गत एक राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम बनाया जा सकता है जिसको पांच सौ करोड़ रूपए की राशि हर साल दी जाए। समुदाय और गैर–सरकारी संगठनों से भी इतनी ही राशि पाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस निगम का मुख्य महाप्रबंधक मुस्लिम धार्मिक क्रियाओं का अच्छा जानकार होना चाहिए और उर्दू मे दक्ष होना चाहिए। निगम वक्फ के संसाधनों को बढ़ाने के लिए और वक्फ की संपत्ति के विकास के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता देना जारी रख सकता है। सभी राज्यों में ऐसे निगम स्थापित किए जाने चाहिए।
67	अध्याय– 11 पैरा– 4.1 पृष्ठ– 216	**अजमेर दरगाह अधिनियम को संशोधित करने की जरूरत :** वक्फ अधिनियम, 1954 को 1995 में संशोधित किया गया था। इस रिपोर्ट में कुछ और संशोधन के सुझाव दिए गए हैं। परन्तु दरगाह, ख्वाजा साहेब अजमेर अधिनियम, 1955 को कभी संशोधित नहीं किया गया, जबकि शेष भारत में और वक्फों की तरह वहां भी वैसी ही समस्याएं हैं। इसलिए दरगाह ख्वाजा साहेब अजमेर अधिनियम को भी विस्तृत रूप से बदला जाना चाहिए।
68	अध्याय– 11 पैरा– 4.2 पृष्ठ– 216	**4.2 कानूनी और प्रशासनिक सुधार – परिहार्य न्यायिक कमजोरियों को दूर करना :** वक्फ अधिनियम की धारा (6) उपधारा (1) का संशोधन : उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान और राधाकृष्णन एवं अन्य के मामले में कहा था कि जहां कोई भी गैर मुस्लिम ऐसी संपत्ति का मालिक हो, जिसे वक्फ की सूची में शामिल कर लिया गया है तो सिर्फ इस कारण उसका अधिकार, मालिकाना हक और उससे लाभान्वित होने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। ऐसे किसी व्यक्ति को वक्फ अधिनियम के मुताबिक अपने मालिकाना हक को घाषित करने के लिए (एक साल के भीतर) वाद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि धारा (6) की उपधारा (1) में जो विशेष सीमा का नियम बनाया गया है वो गैर–मुस्लिमों पर लागू नहीं होता। ऐसी व्याख्या किया जाना वक्फ के हितों के लिए हानिकर हो सकता है और अवैध अधिक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए धारा 6 को संशोधित किए जाने की जरूरत है जिससे कि कोई भी संशय बाकी न रहे। इस संशोधन को उस तारीख से लागू करना पड़ेगा जब से संपत्ति को वक्फ मान लिया गया। वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 6(1) में इस वाक्य के बाद कि "या कोई भी व्यक्ति जिसका हित इससे जुड़ा हो" के बाद निम्नलिखित शब्द भी जोड़े जाने चाहिए – चाहे उसका धर्म कोई भी हो।
69	अध्याय– 11 पैरा– 4.2 पृष्ठ– 216	**लीज की अवधि को बढ़ाना :** जहां कहीं वक्फ की संपत्ति पंजीकृत कल्याणकारी सोसायटियों या दूसरों द्वारा शैक्षणिक या स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं को स्थापित करने के लिए या चलाने के लिए वक्फ में उल्लिखित अन्य सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है और इस्लामी कानून के तहत उसे ऐसा करने की अनुमति हो, वहां पर वक्फ संपत्तियों को लीज की अधिकतम अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल कर देना चाहिए।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
70	अध्याय– 11 पैरा– 4.2 पृष्ठ– 216	**'कब्जा करने वाला' की परिभाषा :** धारा 3 में 'कब्जा करने वाले' की परिभाषा शामिल किए जाने की जरूरत है। 'कब्जा करने वाले की' परिभाषा यह होनी चाहिए कि "कोई भी व्यक्ति जो बिना कानूनी अधिकार के अवधि और लाइसेंस की अवधि पूरी होने के बाद भी वहां पर रह रहा है या फिर बोर्ड द्वारा उनको खत्म किए जाने के बाद भी वहां रह रहा है या वक्फ बोर्ड की पहले से ली गई लिखित अनुमति के बिना उससे किराए पर दी गई या कब्जा की गई संपत्ति में बदलाव करता है। "इस परिभाषा के शामिल होने से वक्फ बोर्डों पर से अधिक्रमण हटाने में मदद मिलेगी। दूसरे, वक्फ परिसर में काबिज व्यक्ति को "इच्छुक व्यक्ति" की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। तीसरे "वक्फ परिसर" की परिभाषा का मतलब है कि "कोई भी मस्जिद, कब्रगाह, मजार, ताकिया, ईदगाह, ईमामबाड़ा, दरगाह, खानकाह, मकबरा, अंजुमन और उनसे जुड़ी या उनके अंतर्गत आने वाली जमीन, उनकी देखभाल करने के लिए समर्पित की गई संपत्ति, उनकी आय से खरीदी गई संपत्ति, जमीन, बगीचा, कुंआ, बाबड़ी, स्कूल, अस्पताल और वक्फ परिसर में जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते।" इस परिभाषा से धारा 54 के अंतर्गत वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत रूप से कब्जा जमाए लोगों को हटाने में मदद मिलेगी।
71	अध्याय– 11 पैरा– 4.2 पृष्ठ– 217	**किराया नियन्त्रण अधिनियम :** कई बार किराया नियंत्रण अधिनियम किरायेदारों को इस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है कि मालिक को संपत्तियों को विकसित करने और उनकी देखभाल करने के लिए कोई लाभ नहीं मिल पाता। अधिकतर राज्यों में वक्फ संपत्ति किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आती है। इसलिए वक्फ पर इस अधिनियम को लागू करना उसके कल्याणकारी उद्देश्यों को हानि पहुंचाना है और उसके लाभान्वितों से उनके हक को छीनता है। इसलिए वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों को किराया नियंत्रण कानून से छूट दिलाने के लिए संशोधन की सख्त जरूरत है। इसके लिए वक्फ अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ा जा सकता है।
72	अध्याय– 11 पैरा– 4.2 पृष्ठ– 217	**गलत तरह से कब्जा की गई संपत्ति (विस्तार) की वापसी की समय सीमा बढाना :** सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 सार्वजनिक वक्फ की संपत्ति को वापस हासिल करने के लिए मामला दायर करके पाने का रास्ता खोल देता है। इस अधिनियम के तहत, अवैध कब्जे की वक्फ संपत्ति को वापस हासिल करने के लिए मामला दर्ज कराने की अवधि 31 दिसम्बर, 1970 तक बढ़ा दी गई थी। विभिन्न राज्यों में यह समय कुछ और बढ़ाया जा सकता हैं, ये निम्नानुसार हैं:– ..... परन्तु, 1947 से अधिकतर राज्य वक्फ बोर्ड ठीक तरह से गठित नहीं हुए थे या उनके पास इतने साधन नहीं थे कि सीमा की अवधि को बढ़ाने का लाभ उठा पाएं या इसका उपयोग कर पाएं। सार्वजनिक कार्यों के प्रशासन और निर्देशन की जिम्मेदारी सरकार की हो। कई बार काफी लम्बी अवधि के लिए वक्फ प्रशासन का अस्तित्व ही नहीं रहा। नतीजतन बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों पर गैर–कानूनी रूप से कब्जा किया गया हैं और उन्हें वापस पाने के लिए दर्ज किए गए मामले समय की सीमा में कैद होकर रह गए हैं। इसलिए सीमा की अवधि भूतलक्षी प्रभाव से 2035 बढ़ा देनी चाहिए।

अनुशंसा सं.	अध्याय, पैरा तथा रिपोर्ट का पृष्ठ	अनुशंसा का सार
73	अध्याय– 11 पैरा– 4.2 पृष्ठ–218	**प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 :** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाली बड़ी संख्या में वक्फ संपत्ति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह उचित होगा कि उनकी सूचियों की सालाना रूप से समीक्षा की जाए और भारतीय पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और केन्द्रीय वक्फ परिषद के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में उनकी परिस्थितियों का आकलन किया जाए। उसमें जो कुछ भी तय किया जाए उस पर दोनों ही पक्ष हस्ताक्षर करें और दोनों ही कार्यवृत्त की प्रतिलिपि को संभाल कर रखें और साथ ही संबंधित मंत्रालयों में भी उनकी प्रतिलिपि रखी जाए।
74	अध्याय– 11 पैरा– 4.2 पृष्ठ–218	**ठीका अधिनियम :** समिति का यह निश्चित विचार है कि अधिनियम का इस्तेमाल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और यह सिफारिश करती है कि सरकार को स्थाई आधार पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
75	अध्याय– 11 पैरा– 4.2 पृष्ठ–218	**वक्फ नियमः** वक्फ अधिनियम, 1995 लागू होने के 11 साल बीत जाने पर भी बड़ी संख्या में राज्यों ने वक्फ नियम नहीं बनाए। यह एक मुख्य कारण है कि वक्फ अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार चल रहा है और कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। राज्य वक्फ बोर्डों के विभागीय सदस्यों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे कि वे पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित रहें। यह काम केन्द्रीय वक्फ परिषद के निर्देशन में होना चाहिए।
76	अध्याय– 11 पैरा– 4.3 पृष्ठ–218, 219, 220	**4.3 कानूनी प्रावधानों को लागू करना** **वक्फ अधिनियम, 1995 में किए गए संशोधन** समिति सुझाव देती है कि निम्नलिखित मुद्दों को वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत इस तरह से निपटाया जाना चाहिए कि राज्य वक्फ बोर्ड प्रभावी बन सकें और वक्फ संपत्तियों पर अधिक्रमण को हटाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बन सकें। इसलिए वक्फ अधिनियम के धारा 83 (4) को संशोधित करके यह लिख दिया जाना चाहिए कि वक्फ अधिकरण में पूर्ण–कालिक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो सिर्फ वक्फ के मसलों को ही हल करें। वक्फ अधिकरण को यह भी अधिकार होगा कि वो मामले के आधार पर अंतरिम सहायता दे सकें और हानि आदि की भरपाई कर सकें। वक्फ को दो तरह से लाभ मिलने चाहिए, पहले तो वक्फ के कार्यकलापों को आसान बनाने के लिए जो विभिन्न कानून बनाए गए हैं, उनमें से कुछ चीजों को संशाधित करने की जरूरत है और दूसरे वक्फ बोर्डों के सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य ऐसे अधिनियम बनाए जाएं जो उनकी कानूनी रूप से सहायता कर सकें। ऊपर बताए गए दोनों प्रकारों के लिए राज्य स्तर के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैंः– **– सरकारी परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम** राजपत्र में सूचीबद्ध सभी वक्फों को सरकारी परिसर समझा जाना चाहिए। वक्फ जनता के बड़े हिस्से के लिए बनाए जाते हैं। वक्फ की कुछ गतिविधियां जैसे स्कूल और अनाथाश्रम चलाना, जरूरतमंदों को मासिक वित्तीय सहायता देना आदि, सिर्फ मानवतावादी और धर्म निरपेक्षता के रूप में होता है। ऐसी संपत्तियों पर किसी भी अधिक्रमण को सरकारी जमीन पर अधिक्रमण की तरह समझा जाना चाहिए। सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 को वक्फ

		संपत्तियों से अधिक्रमण हटाने के लिए लागू करना चाहिए और बाजार की कीमत पर किराए लागू करना चाहिए और किराए को उसी तरह वसूला जाना चाहिए जैसे भूमिकर वसूला जाता है। **वक्फ को सशक्त बनाने वाली अन्य कानूनी संरचनाएं** जैसा कि इस अध्याय के शुरूआत में बताया गया है वक्फ संपत्तियां निजी संपत्तियों से काफी अलग हैं। वक्फ संपत्तियों का मलिकाना हक अल्लाह के साथ में है, जिसे एक कृत्रिम उच्चपदीय व्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ गरीब जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए ही किया जा सकता है। फिर भी राज्य और केन्द्रीय प्रशासन आमतौर पर इस अंतर पर कोई ध्यान नहीं देता। जहां वक्फ संपत्तियों को कुछ कानूनों से छूट देकर उनके मानववादी उद्देश्यों को पूरा करने में नकी मदद करेगी। निम्नलिखित अधिनियमों में छोटे–मोटे संशोधन करने से उन्हें इस तरह से सशक्त बना दिया जाए कि उनके आम सार्वजनिक उद्देशय को हानि पहुंचाए बिना वक्फ के क्रियाकलापों में उनकी मदद की जा सके। सरकार वक्फ बोर्डों से सलाह लेकर और सार्वजनिक मंतव्यों को जानने के बाद जरूरी कार्यवाही कर सकती है। ऐसे कुछ अधिनियम हैं : • किराया नियंत्रण अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम • कृषिभूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, • नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम • संपत्तियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम • किरायेदार संबंधी अधिनियम • स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम • कोर्ट शुल्क अधिनियम • आयकर अधिनियम • निजी जमीन का अधिकार एवं समर्पण अधिनियम